

झारखण्ड सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
(संसादीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या - १०१०११०-०५/वे०भ० संशोधन - १२८/२०१७ ८८२ / दिनांक - ०२/७/२०२४

झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, २००१ (झारखण्ड अधिनियम, ०२, २००१) की धारा ३ (ज), झारखण्ड विधान-मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २००५ (झारखण्ड अधिनियम, १०, २००६) झारखण्ड विधान-मंडल के नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २००८ (झारखण्ड अधिनियम, ०८, २००८) सहपठित झारखण्ड विधान-मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, २०११ (झारखण्ड अधिनियम, १५, २०११) की धारा ७ एवं झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) नियमावली, २०१५ के नियम-५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) नियमावली, २०१५ (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

- (क) यह नियमावली झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) (संशोधन) नियमावली, २०२४ कहलायेगी।
- (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।
- (घ) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में विधान-मंडल के सदन के संबंध में विरोधी दल के नेता से अनिप्रेत है, झारखण्ड विधान-सभा का कोई सदस्य जो तत्समय सदन में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो, जिसकी संख्या-बल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

**स्पष्टीकरण :** जहाँ विधान-सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या-बल समान हो, यहाँ यथार्थिती, विधान-सभा के अध्यक्ष, दलों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

२. विरोधी दल के नेता का वेतन, क्षेत्रीय भत्ता एवं सत्कार भत्ता -

- (क) विरोधी दल के नेता प्रतिमाह ₹ ८५,०००/- (पचासी हजार) मात्र वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे।  
इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) विरोधी दल के नेता क्षेत्रीय भत्ता के रूप में ₹ ९५,०००/- (पंचानवे हजार) मात्र प्रतिमाह और सत्कार भत्ता के रूप में ₹ ५५,०००/- (पचपन हजार) मात्र प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इस नियमावली के अधीन वेतन या भत्ता प्राप्त करने वाले विरोधी दल के नेता, विधान-मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान-मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(घ) विरोधी दल के नेता का निवास :

- i. विरोधी दल के नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक रांची में तथा रांची के बाहर किसी अन्य स्थान पर, जहाँ विधान-सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।
- ii. ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- iii. इस नियम के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।
- iv. विरोधी दल के नेता को रु० 60,00,000/- (साठ लाख) मात्र का गृह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुमान्य होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त "आवास" में स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित हैं।

(ड) **प्रभारी भत्ता :-** विरोधी दल के नेता को रु० 3,000/- (तीन हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु० 4,000/- (चार हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर प्रभारी भत्ता देय होगा।

(च) **मोटरगाड़ी खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता को अग्रिम और सवारी भत्ता दिया जाना :-** राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी की खरीद और इससे संबंधित उपबंध, समय-समय पर ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरगाड़ी नहीं हो, तो उन्हें उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सकें।

(छ) विरोधी दल के नेता को रु० 20,00,000/- (बीस लाख) मात्र 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर पर मोटरगाड़ी अग्रिम राशि अनुमान्य होगा।

(i) विरोधी दल के नेता राशि रु० 20,00,000/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक मोटरगाड़ी क्रय कर सकेंगे।

- (ज) विरोधी दल के नेता की सुविधाएँ : विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे प्रावधानों का उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।
- (i) विरोधी दल के नेता को कैबिनेट स्तर की सुविधाएँ अनुमान्य होगी।
- (ii) विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान निजी कर्मचारियों की सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।
- (iii) उपस्कर एवं आवास सुसज्जन— विरोधी दल के नेता को एक टर्म के लिए उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय सुसज्जन हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/- (बीस हजार) मात्र देय होगा।

(झ) चिकित्सा सुविधा:—

विरोधी दल के नेता को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय-समय पर अवधारित करे।

- (ञ) नेता विरोधी दल भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान निर्धारित सीमा के अन्दर विधान सभा द्वारा देय होगा तथा HOR की सुविधा पूर्ववत् मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा दी जाती रहेगी।

4. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या वातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
5. व्याख्या एवं संशोधन— इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(वन्दना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक- म०म०स०-०५/वे०भ० संशोधन -128/2017 882 /

रांची, दिनांक-02/7/ 2024।

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/नेता-विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

रांची, दिनांक -02/7/ 2024।

ज्ञापक- म०म०स०-०५/वे०भ० संशोधन -128/2017 882 /

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

रांची, दिनांक-02/7/ 2024।

ज्ञापक- म०म०स०-०५/वे०भ० संशोधन -128/2017 882 /

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड को संकल्प की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।